म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र0/बोर्ड कार्मिक/क/प्रत्या./939/4104 भोपाल, दिनांक 07/01/2021

:: आदेश ::

म.प्र.कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 65(2) सहपठित राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 93 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं संदीप यादव, प्रबंध संचालक सह–आयुक्त द्वारा म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ कालम नम्बर 02 में दर्शित अधिकारियों को उनके पदनाम के समक्ष दर्शित प्रशासकीय अधिकारो का निम्नलिखित शर्तो के तहत प्रत्यायोजन करता हूँ :–

विषय/कार्य का विवरण	प्रत्यायोजित अधिकार	प्रत्यायोजन की सीमा	अभियुक्ति
01	02	03	04
राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35 के तहत निलंबन की शक्ति।	संयुक्त संचालक /उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार मण्डी निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक।	म. प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35 के अंतर्गत

शर्ते :–

1– उपरोक्त दोनो संवर्ग के कर्मचारी जिसके विरूद्ध विभागीय जांच की जाना हो, सामान्यतः तब तक निलंबित नहीं किया जायेगा जब तक की उसके विरूद्ध आरोप गंभीर स्वरूप के न हो या जब प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य समुचित कारणों से ऐसा करना आवश्यक/अपरिहार्य हो।

2– निलंबन आदेश भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकेगा, जब तक सेवा शर्तो संबंधी नियमों अथवा शासकीय निर्देशो में ऐसी व्यवस्था निर्धारित हो।

3– यदि किसी आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अडतालीस घण्टों से अधिक की अवधि के लिये, अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो।

4– यदि गंभीर स्वरूप की अनियमितता के आरोपो और किसी मामले की परिस्थितियों को देखते हुऐ इस बात से समाधान हो जाए कि संबंधित कर्मी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित या लंबित हो, निलंबन करना आवश्यक या वांछनीय हो, तो समुचित एवं ठोस आधार पर निलंबित किया जा सकेगा।

5– आंचलिक उप/संयुक्त संचालक द्वारा निलंबित कर्मचारी के आरोप पत्र 30 दिन के भीतर अनुशासित प्राधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

[illegible] करने के तिथि से 06 माह उपरांत समीक्षा कर समुचित लेखबध किये जाने वाले कारणों के आधार पर निलंबन से बहाल किया जा सकेगा। अन्यथा परिस्थितियो में प्रकरण में बहाल करने बावत प्रस्ताव स्पष्ट अनशंसा तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ मुख्यालय को भेजा जायेगा।

7– आंचलिक उप/संयुक्त संचालक द्वारा दोनो संवर्गो के कर्मियों का संभागीय स्तर पर जारी निलंबन आदेश एवं बहाली आदेश की प्रति उसी दिन प्रबंध संचालक/अपर संचालक (कार्मिक) को ऑफिशियल ई–मेल पर उपलब्ध करायेंगे।

8– आंचलिक उप/संयुक्त संचालक दोनो संवर्गो के कर्मियों को जारी आरोप पत्रादि पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत नही होगे।

9– आंचलिक उप/संयुक्त संचालक द्वारा निलंबित कर्मी की सेवा पुस्तिका में निलंबन आदेश, बहाली आदेश, अधिरोपित शास्ति आदेश की प्रविष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

6.1.21

(संदीप यादव)
आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रं0/बोर्ड कार्मिक/क/प्रत्या./939/4105

भोपाल, दिनांक 07/01/2021

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह–अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. अपर संचालक/मुख्य अभियंता/संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/उप संचालक/कार्यपालन यंत्री (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.......................।
5. आदेश नस्ती/समस्त शाखा..मंडी बोर्ड मुख्यालय।

6.1.21

आयुक्त सह–प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल